समाहरणालय, सीवान

(जिला राजस्व शाखा)

सैरात बन्दोबस्ती हेतु डाक सूचना

एतद द्वारा सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि सीवान जिलान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये निम्नांकित सेरातों की बन्दोबस्ती खुले डाक से अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 16.03.2018 को पूर्वाहन 11.00 बजे से अपर समाहर्ता, सीवान के कार्यालय प्रकोष्ट में किया जायेगा। उक्त तिथि को किसी कारणवश डाक नही होने अथवा किसी सैरात विशेष के लिये कोई डाकवक्ता के उपस्थिति नही होने की स्थिति में पुनः दिनांक 17.03.2018 एवं दिनांक 19.03.2018 को डाक किया जायेगा।

क्र0 सं0	अनुमण्डल का नाम	अंचल का नाम	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा	अग्रधन की राशि
1	2	3	4	5	6
1	सीवान सदर	सिसवन	मेहन्दार मेला झगड़ालु	399625.00	39962.00
2		रघुनाथपुर	नरहन घाट	172592.00	17259.00
3			रघुनाथपुर बाजार	194672.00	19467.00
4		आन्दर	पतार बाजार	140300.00	14030.00
5			आन्दर बाजार	230000.00	23000.00
6		हुसैनगंज	हुसैनगंज बाजार	116150.00	11615.00
7		नवतन	नवतन बाजार	299575.00	23957.00
8		गुठनी	गुठनी बाजार	235871.00	23587.00
9			सोहगरा बाजार	137714.00	13771.00
10		दरौली	दरौली बाजार	258519.00	25851.00
11			दोन बाजार	132365.00	13236.00
12		हसनपुरा	अरण्डा बाजार	101545.00	10154.00
13		पचरूखी	पचरूखी बाजार	200905.00	20090.00
14	महाराजगंज	दरौंदा	पिपरा हाट बाजार	155710.00	15571.00

बन्दोबस्ती लेनेवाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते है। डाक में भाग लेनेवाले इच्छुक व्यक्ति संबंधित अंचल/थाना से अपना आचरण एवं पूर्ववृत संबंध में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही पूर्व के बन्दोबस्तदार द्वारा बकाया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हे डाक में भाग नही लेने से बंचित कर दिया जायेगा। सुरक्षित जमा का 10% अग्रधन के रूप में जमा करने के पश्चात् ही डाक में भाग ले सकते है। सफल डाकवक्ता को डाक समाप्ति के बाद उसी समय पूरी राशि एक ही किस्त में जमा करनी होगी। सफल डाकवक्ता को पूरे डाक की राशि पर 5 प्रतिशत निबंधन शुल्क एवं 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क कुल 10 प्रतिशत की राशि अतिरिक्त देय होगी।

सैरातों की बन्दोबस्ती उच्चतम डाकवक्ता के साथ सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो पर स्वीकृत की जाएगी। सफल डाकवक्ता को बन्दोबस्ती का एकरारनामा अपने व्यय पर निबंधित कराना हागी। बन्दोबस्तीदार सरकारी दर पर कौड़ी वसूल करेंगे। डाक में भाग लेनेवाले व्यक्ति का मानसिंक, समाजिक तथा आर्थिक स्थिति पर सरसरी तौर पर विचार किया जाएगा, ताकि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रश्रय नहीं मिल सकें घाट के मामले में

बनेबस्तीदार को प्रयोग में लाई जानेवाली नाव ठीक एवं दुरूस्त रखनी होगी। आकस्मिक घटना की संभावना न रहे इस ख्याल से प्रत्येक किस्म के नाव के लिए निर्धारित भार क्षमता से अधिक वजन का यातायात नहीं करना होगा। पंचायत/प्रा0कृ0 साख सहयोग समिति/नाविक यातायात समिति के साथ बन्दोबस्ती हेतु सक्षम पदाधिकारी से अनुशंसा प्राप्त होने पर नियमानुकूल विचार किया जा सकता है।

बिना कोई कारण बताये डाक को रद्द करने का अधिकार डाककर्त्ता को होगा। उच्चतम डाकवक्ता के द्वारा डाक की राशि एक मुश्त जमा नहीं करने पर उनके अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी तथा द्वितीय उच्चतम डाक की राशि बोलने वाले के साथ एक मुश्त राशि जमा करने पर बंदोबस्त की जायेगी।

20/7/18

समाहर्त्ता,
सीवान।